

emailed

राजस्थान सरकार  
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रतापनगर, जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/होम्यो. चिकि./वा.वे.वृ./2017-18/

दिनांक:-

-:: आदेश ::-

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 व वित्त विभाग, जयपुर राजस्थान सरकार के आदेश/ अधिसूचना क्रमांक संख्या एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान), 2017 के नियम 13 के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के अधीन कार्यरत/पदस्थापित डॉ. सुनीता ढाल, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित पे-मैट्रिक्स के लेवल अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	मैट्रिक्स लेवल	वर्तमान वेतन एवं दिनांक	वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक	वार्षिक वेतन वृद्धि पश्चात् वेतन
1.	डॉ. सुनीता ढाल	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, बागडोदा जिला सीकर	L-14, 56100-177500	57800/- 01.07.2018	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021	59500/- 61300/- 63100/-

नोट:- डॉ. सुनीता ढाल के द्वारा दिनांक 17.05.2019 से 30.06.2019 तक उपार्जित अवकाश व दिनांक 01.07.2019 से 25.07.2019 तक अवैतनिक अवकाश पर रहने के कारण इनको वेतन वृद्धि के लाभ का नगद भुगतान दिनांक 26.07.2019 से देय होगा।


(डॉ. रेणु बंसल)  
निदेशक

क्रमांक:-प्रति-1/होम्यो. चिकि./वा.वे.वृ./2017-18/ 5083

दिनांक:- 5-7-21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालय की लेखा शाखा को दो प्रतियों में।
3. विभागीय नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाइट को दी जाकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड करावे।
4. सम्बन्धित डॉ. सुनीता ढाल, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, बागडोदा जिला सीकर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक